पीबीएक्स 0522–4151200
फैक्स 0522–2629284
ई.मेल upcb.bkg@upscb.com

उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि.
मुख्यालय, 2–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पत्राँक :बैंकिंग / पीएमएफएमई / एफ–274 / 2024–25 /320
दिनाँक : 24/30 अक्टूबर, 2024

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक,
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
समस्त शाखायें,
उत्तर प्रदेश।

विषय : प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण (पीएमएफएमई) बैंक में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

बैंक की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक–09.10.2024 में पारित प्रस्ताव सं0–07 के कम में बैंक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण (पीएमएफएमई) योजना लागू की जाती है, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा एकल सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और इस क्षेत्र के औपचारिककरण को बढ़ावा देना तथा किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ–साथ समर्थन देना है।

1. ऋण / योजना का उद्देश्य :–

- मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों एवं सहकारिताओं को केडिट की सुविधा उपलब्ध कराना (ओ.डी.ओ.पी. एवं गैर ओ.डी.ओ.पी. सहित)।
- ब्रान्डिंग और विपणन को मजबूत बनाकर संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण करना।
- सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाओं, भण्डारण, पैकिंग, विपणन और इन्क्यूवेशन सेवाओं हेतु ऋण।
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में संस्थानों, अनुसंधान एवं ट्रेनिंग सेन्टर्स को ऋण उपलब्ध कराकर मजबूती प्रदान करना।
- उद्यमों के लिए पेशेवर और तकनीकी सहायता हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उनकी पहुँच में वृद्धि करना।

2. ऋण की पात्रता :–

- संस्थायें–व्यक्तिगत इण्टरप्रेन्योर / प्रोपराईटरशिप फर्म्स / पाटर्नरशिप फर्म्स / एफपीओ / एनजीओ / सहकारी संस्थायें / स्वयं सहायता समूह / प्रा0लि0 कम्पनीज़ जो लघु खाद्य एवं सूक्ष्म उद्योग के अन्तर्गत हो, पात्र होगीं।
- ऋणी की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं।
- ऋणी / इण्टरप्राईजेज़ उक्त योजनान्तर्गत बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगी भले ही उसके द्वारा पूर्व में बैंक से सरकार की सब्सिडी लिंक योजना के अन्तर्गत ऋण लिया हो।

- सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो योजनायें बैंक में वर्तमान में लागू हैं, उनमें कन्वर्जन का लाभ भी ऋणी को नियमानुसार प्राप्त होगा, यदि कन्वर्जन योजना बैंक में लागू हो तो।
- ऋणी/आवेदक संगठन/फर्म को पात्र परियोजना लागत के कैपिटल एक्सपेंडीचर जिसमें ऋणी का मार्जिन भी सम्मिलित होगा, का 35 प्रतिशत (अधिकतम रू0 10.00 लाख) तक सब्सिडी पीएमएफएमई से सम्बन्धित विभाग द्वारा दिया जायेगा। बैंक सब्सिडी को तभी ऋण खाते (टर्म लोन) में अन्तरित करेगा जब बैंक को सब्सिडी प्राप्त होगी तथा उक्त सम्बन्ध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार 03 वर्ष पश्चात् ही ऋणी के खाते में अन्तरित किया जायेगा, यदि खाता स्टैण्डर्ड हो तो ऋण की सीमा किसी भी दशा में रू0 60.00 लाख से अधिक नहीं होगी।

3. <u>ऋण का प्रयोजन</u>

ऋण का प्रयोजन व्यवसायिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु तथा सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण हेतु एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमन्य क्षेत्र।

4. <u>योजना का कार्यक्षेत्र</u>

उ0प्र0

5. <u>ऋण की सीमा एवं मार्जिन मनीः–</u>

60.00 लाख तथा मार्जिन मनी 10 प्रतिशत टर्म लोन हेतु तथा 20 प्रतिशत कैश क्रेडिट लोन हेतु।

6. <u>ऋण अवधि :–</u>

टर्म लोन हेतु 05 वर्ष कैश क्रेडिट लोन हेतु 01 वर्ष, कैश क्रेडिट सीमा प्रत्येक 01 वर्ष पर नवीनीकृत की जा सकेगी।

7. <u>ब्याज दर :–</u>

- 11 प्रतिशत वार्षिक, जिनका सिबिल स्कोर व्यक्तिगत 750 से अधिक होगा **(सीएमआर 01 से 03 होने पर तथा नये उद्यमियों के मामले में एनटीसी स्कोर 150 से ऊपर होने पर)**
- 11.25 प्रतिशत वार्षिक **(सीएमआर 04 से 06 होने पर तथा नये उद्यमियों के मामले में एनटीसी स्कोर 131 से 150 तक होने पर)**
- ऋण लेने वाले व्यक्तियों, ऋण लेने वाली फर्म दोनों का ही सिबिल स्कोर प्राप्त किया जायेगा। ऋणी/ऋणियों का सिबिल स्कोर 700 से नीचे नहीं होना चाहिए तथा ऋण लेने वाली फर्म का सिबिल एमएसएमई रैंक (सीएमआर) 01 से 6 तक है तो ऋण अनुमन्य किया जायेगा। यदि 06 से ऊपर है तो ऋण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
- वर्तमान उद्यमियों हेतु Finance Income and Trade Rank (फिट रैन्क) देखी जायेगी। फिट रैन्क की गणना ऋणी के बैंक स्टेटमेण्ट, आईटीआर एवं जीएसटी रिटर्न के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा फिट रैन्क 01 से 06 तक होगी तो ऋण स्वीकृत किया जायेगा यदि फिट रैन्क 06 से ऊपर होगी तो ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

- नये एमएसएमई के मामलों में जहां सीएमआर रैन्क नहीं है वहां पर Finance Income and Trade Rank (फिट रैन्क) के साथ–साथ फर्म आदि के डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोपराईटर की सिबिल स्कोर रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी तथा जिन ऋणियों की सिबिल स्कोर नहीं आ रही है ऐसे मामलों में उनका एनटीसी स्कोर के आधार पर ऋण स्वीकृत या अस्वीकृत किया जायेगा।

- यदि नये ऋणियों का New To Credit (एनटीसी) स्कोर 131 या उससे ऊपर है तो बैंक ऋण स्वीकृत करेगा एवं यदि 131 से नीचे है तो ऋण स्वीकृत नहीं करेगा।

8. फीस

- प्रशासनिक शुल्क रू0 200.00 + जीएसटी
- प्रोसेसिंग फीस 0.50 प्रतिशत (न्यूनतम रू0 4000.00) +जीएसटी सहित ऋणियों से ली जायेगी। उक्त प्रोसेसिंग फीस में सी0ए0 द्वारा ली जाने वाली फीस भी सम्मिलित होगी। सी0ए0 द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:–

रू0 10,00,000.00 तक ऋण	रू0 4000.00
रू0 10,00,001.00 से रू0 25,00,000.00 तक ऋण	रू0 6000.00
रू0 25,00,001.00 से रू0 60,00,000.00 तक ऋण	रू0 7500.00

Appraisal from CA should be done only for proposals which satisfy applicable condition as stipulated in the circular.

- उक्त दरों में सी0ए0 द्वारा फाइनेन्शियल एवं टैक्निकल एप्रेजल, पीएमएफएमई ड्यू डेलीजेन्स एवं आईटीआर वेरीफिकेशन आदि किया जायेगा।
- ऋणी/गारण्टर को बैंक का नाम मात्रिक सदस्य बनाया जायेगा।
- अधिवक्ता के माध्यम से प्राप्त रिपोर्टों, भार मुक्त प्रमाण पत्र आदि हेतु अधिवक्ता द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस अधिकतम रू0 2000.00 होगी, यह प्रोसेसिंग फीस से पृथक होगी।
- स्टॉक/परिसम्पत्तियों आदि का वैल्यूवेशन कराने के लिए वैल्यूवेशन फीस तथा स्टॉक का आडिट करने या अन्य कोई आडिट करने जैसा बैंक उचित समझे के सम्बन्ध में जो फीस वैल्यूवर/आडिटर द्वारा चार्ज की जायेगी उसे ऋणी द्वारा वहन किया जायेगा।

सीजीटीएमएसई गारण्टी से आच्छादित ऋणों हेतु समय–समय पर निर्धारित गारण्टी फीस ऋणी से ली जायेगी। ऋण से सम्बन्धित समस्त व्यय ऋणी द्वारा स्वयं ही वहन किये जायेंगे।

9. खाता

ऋणी/ऋण फर्म का ऋण खाता एवं चालू खाता सम्बन्धित शाखा में खोला जायेगा, ऋणी टर्म लोन से सम्बन्धित समस्त प्रकार के लेन देन इसी चालू खाते के माध्यम से करेगा तथा कैश केडिट ऋण सीमा के मामले में कैश केडिट ऋण खाता खोला जायेगा तथा इस खाते के माध्यम से ऋण कैश क्रेडिट सम्बन्धी लेन देन किये जायेगें।

10. <u>सब्सिडी</u>

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को मान्य (Eligible) प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35 प्रतिशत या अधिकतम रू0 10.00 लाख (दोनों में से जो कम हो) प्रति यूनिट क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी प्राप्त होगी (जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जायेगा) बैंक कोई सब्सिडी अपने स्तर से नहीं प्रदान करेगा। मान्य प्रोजेक्ट कॉस्ट में प्लान्ट मशीनरी एवं टेक्निकल सिविल वर्क सम्मिलित होगा, किन्तु जमीन की लागत/रेन्ट या शेड का लीज़ वर्क सम्मिलित नहीं होगा। टेक्निकल सिविल वर्क मान्य प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्गत निर्देशानुसार केवल टर्म लोन पर ही सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
- कैश क्रेडिट ऋण पर किसी प्रकार की सब्सिडी अनुमन्य नहीं है।
- सब्सिडी धनराशि प्राप्त होने पर उसे शून्य प्रतिशत ब्याज पर 03 वर्ष के लिए एफडी करायी जायेगी तथा 03 वर्ष पश्चात् उसे ऋणी के टर्म लोन में एडजस्ट कर दिया जायेगा।
- सब्सिडी एडजस्ट करने हेतु ऋण स्वीकृत करते समय ऋणी से एक एफेडेबिट इस आशय का लिया जायेगा कि 03 वर्ष पश्चात् उक्त सब्सिडी उसके टर्म लोन खाते में एडजस्ट कर दी जाय।

11. <u>पुर्नभुगतान क्षमता:–</u>

- ऋण/ऋणी की पुर्नभुगतान क्षमता का आंकलन ऋण प्राप्त करने वाली फर्म/यूनिट द्वारा दी गयी बैलेन्स शीट, प्रोजैक्टेड बैलेन्स शीट, लाभ हानि खाते का विवरण और कैश फ्लो स्टेटमेण्ट आदि के आधार पर सी0ए0 के माध्यम से कराया जायेगा। प्रोजेक्टेड बैलेंसशीट 5 वर्ष ली जायेगी।

- ऋण प्राप्त करने वाली फर्म यूनिट के ओनर्स/संचालक/फर्म को चलाने वाले पार्टनर्स/प्रोपराइटर का विगत तीन वर्षो का व्यक्तिगत आईटीआर भी प्राप्त किया जायेगा तथा उसके आधार पर पुनर्भुगतान क्षमता का आंकलन सीए के माध्यम से कराया जायेगा।

12. <u>बीमा</u>

प्लान्ट, मशीनरी एवं स्टॉक का बीमा ऋणी द्वारा अवश्य कराया जायेगा।

13. <u>कन्वर्जेन्स</u>

- पीएमएफएमई योजना में कन्वर्जेन्स येाजना का भी लाभ मिलेगा। उन्हीं योजनाओं में कन्वर्जेन्स का लाभ दिया जायेगा जो योजनायें बैंक में लागू होंगी।
- कन्वर्जेन्स हेतु जिस योजना में कन्वर्जेन्स किया जायेगा उस योजना की ब्याज दर लागू होगी तथा पीएमएफएमई की ब्याजदर अलग होगी।
- जिस योजना में कन्वर्जेन्स का लाभ लिया जा रहा है उस योजना के पोर्टल पर भी उस योजना में ऋण स्वीकृत किया जायेगा तभी कन्वर्जेन्स का लाभ प्राप्त होगा। **(उदाहरण– यदि कोई ऋणी पीएमएफएमई में ऋण**

ले रहा है तथा वह कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत एआईएफ (एग्रीकल्चर इन्फ्रास्टक्चर फण्ड) का भी लाभ लेना चाहता है तो ऐसे ऋणी का ऋण पीएमएफएमई पोर्टल के साथ–साथ एआईएफ पोर्टल पर भी शाखा द्वारा ऋण स्वीकृत किया जायेगा किन्तु सीबीएस में पीएमएफएमई ऋण ही स्वीकृत किया जायेगा।)

14. प्रतिभूति

- माइक्रो यूनिट्स सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर लेने हेतु भी पात्र होंगीं। सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर उन्हीं को प्रदान किया जायेगा, जिस/जिस क्षेत्र को सीजीटीएमएसई द्वारा अनुमन्य किया गया होगा।
- जो ऋण सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर के अन्तर्गत स्वीकृत किये जायेगें, उसमें किसी प्रकार की कोलेट्रल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारण्टी नहीं ली जायेगी तथा सीजीटीएमएसई गारण्टी फीस ऋणी से प्रतिवर्ष सीजीटीएमएसई द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार ली जायेगी। इस हेतु ऋणी से इस आशय का प्रमाणपत्र लिया जायेगा कि CGTMSE गारन्टी फीस उसके द्वारा प्रतिवर्ष दी जायेगी।
- जो ऋण कोलेट्रल प्रतिभूति के अन्तर्गत स्वीकृत किये जायेगें, उनमें एक गारण्टर तथा प्रमोटर्स की भी गारण्टी ली जायेगी तथा इनको उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत नाममात्रिक सदस्य बनाया जायेगा।
- कोलेट्रल प्रतिभूति डेढ़ गुना मूल्य के अचल सम्पत्ति या ऋण राशि के बराबर एफडी, केवीपी, एनएससी होगी।
- प्लान्ट, मशीनरी एवं स्टॉक को प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में लिया जायेगा तथा इनका हाइपोथिकेशन कराया जायेगा। इस हेतु रू० 100/– के स्टाम्प पेपर पर हाइपोथिकेशन ऐग्रीमेन्ट कराया जायेगा।

15. प्रलेखीकरण(डॉक्यूमेन्टेशन)

- ऋणी/गारन्टर द्वारा नामिनल मेम्बरशिप ली जायेगी।
- केवाईसी डॉक्यूमेण्ट लिये जायेंगे।
- ऋण स्वीकृति पत्र दिया जायेगा।
- लाभार्थी से ऋण की शर्तों का मंजूरी पत्र लिया जायेगा।
- मांग एवं वचन पत्र लिया जायेगा जिस पर निर्धारित मूल्य का रसीदी टिकट लगाया जायेगा।
- रू0 20.00 लाख से ऊपर तक के व्यवसाय हेतु जीएसटीएन अवश्य लिया जायेगा।
- कैश क्रेडिट ऋण हेतु Letter of Continuity, डिमान्ड प्रनोट आदि ऋणी से भराए जायेंगे।
- Food safety and standard authority of India (एफएसएसएआई) द्वारा निर्गत लाइसेन्स/प्रमाण पत्र जो फूड प्रोसेसिंग के सम्बन्ध में होगा।
- उद्योग आधार नम्बर, पैन कार्ड, आधार कार्ड (प्रमोटर्स एवं गारण्टर्स का) अन्य डॉक्यूमेण्ट्स के सम्बन्ध में लिये जाने वाले प्रपत्रों की लिस्ट **संलग्नक**–नये

उद्यमियों–इन्डिविजुअल/फर्म हेतु चेक लिस्ट–1, वर्तमान में चल रहे उद्यमियों–इन्डिविजुअल/फर्म जिनका टर्नओवर रू0 1.00 करोड़ से अधिक है–2, वर्तमान में चल रहे उद्यमियों– इन्डिविजुअल/फर्म जिनका टर्नओवर रू0 1.00 करोड़ से कम है–3, वर्तमान में चल रहे फारमर प्रोड्यूसर्स कम्पनीज़–4, वर्तमान में चल रही सहकारी समितियों हेतु–5 एवं स्वयं सहायता समूह हेतु–6 पर **संलग्न है**।

- **अन्य आवश्यक प्रपत्र जो उपर्युक्त परिपत्र में उल्लिखित हो।**

16. **ऋण का अप्रेजलः–**

ऋण का अप्रेजल मुख्य प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक द्वारा या शाखा के किसी अधिकारी, जिसे मुख्य प्रबन्धक या शाखा प्रबन्धक द्वारा नामित किया गया हो, किया जायेगा। यद्यपि ऋण आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होंगे जिनके बारे में उक्त योजनान्तर्गत निर्धारित मानदण्डों का पहले से ही अप्रेजल किया जा चुका होगा, फिर भी बैंक शाखा को ऋण का अप्रेजल करना आवश्यक है । ऋण शाखा की ऋण कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा ऋण शाखा स्तर से स्वीकृत/डिसबर्स किया जायेगा। ऋण स्वीकृत होने हेतु मुख्यालय प्रेषित नहीं किया जायेगा।

17. **ऋण की वसूली**

- टर्म लोन की वसूली 60 माह में ब्याज सहित समान मासिक किश्तों में वसूला जायेगा।
- कैश केडिट लोन एक वर्ष हेतु स्वीकृत किया जायेगा तथा एक वर्ष पर ऋण सीमा का नवीनीकरण ऋणी की वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जायेगा।
- कैश क्रेडिट ऋण खाता लगातार संचालित करना होगा।

18. **रेशियो**

करेण्ट रेशियो, डेट ईक्विटी रेशियो, एफएसीआर (Fixed Asset Coverage Ratio) एवं डीएससीआर रेशियो (Debt Service Coverage Ratio) निम्न व्यवस्था के अनुरूप लागू होंगे:–

Sr. No.	Ratio	Norms	
		Micro & Small Enterprises under manufacturing sector and Service Sector (regulatory guidelines)	**Medium Enterprises under manufacturing sector and Service Sector (regulatory guidelines)**
1	Current Ratio	**1.17& above**	**1.20 & above**
2	Debt Equity Ratio (Total Term Liability / Tangible /Net Worth)	**3:1**	**3:1**
3	FACR (Fixed Asset Coverage Ratio) (Net FA/Term Debts)	**Not below 1.25**	**Not below 1.25**
4	Average DSCR(Debt Service Coverage Ratio) for Term Loan	1.75 with a condition that in any year it should not be below 1.00 instead of 1.25 as per extant Guidelines.	1.75 with a condition that in any year it should not be below 1.25

19. <u>अन्य</u>

- ऋण के लिए आवेदन पीएमएफएमई पोर्टल के माध्यम से ऋणी द्वारा किया जायेगा।
- आंतरिक रेटिंग हेतु बैंक के परिपत्र सं0–बैंकिंग/व्य0/2019–20/95, दिनांक–01.02.2020 का पालन किया जायेगा। **(संलग्नक–अ)**
- पीएमएफएमई योजना से सम्बन्धित समय–समय पर जारी कोई भी संशोधन/स्पष्टीकरण इस योजना का हिस्सा माना जायेगा।
- बैंक द्वारा समय–समय पर जारी अन्य सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।
- पीएमएफएमई के लिए जो भी यूनिट स्थापित होगी वह स्थान व्यवसायिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए तथा सम्बन्धित विभाग से व्यवसायिक गतिविधि करने के लिए एनओसी अवश्य लेनी होगी।
- पीएमएफएमई योजनान्तर्गत रेण्टेड भूमि पर भी यूनिट स्थापित की जा सकती है जिसके लिए 06 वर्ष का रजिस्टर्ड रेण्ट एग्रीमेण्ट होना आवश्यक है। विस्तृत दिशा निर्देश हेतु एसएमएमई पालिसी/ परिपत्र का सन्दर्भ लें।
- **ऋण की राशि जहां से प्लान्ट मशीनरी या रॉ मैटेरियल खरीदा जा रहा है उस वेण्डर के खाते में ड्राफ्ट, एनएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से अन्तरित की जायेगी। प्लान्ट, मशीनरी आदि खरीदने हेतु कोटेशन प्राप्त किया जायेगा तद्नुसार ऋण स्वीकृत किया जायेगा। किसी भी दशा में ऋण की राशि सीधे ऋणी को नहीं दी जायेगी।**
- पैरेन्टल सम्पत्ति पर कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उसे पैरेन्टल सम्पत्ति होने का प्रमाण देना होगा।
- ऋणी के द्वारा बैंक को कोई नुक्सान या हानि पहुॅचाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ऋणी को करनी होगी।
- किसी विवाद की स्थिति में उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत विवाद निस्तारण हेतु निबन्धक सहकारी समितियॉ को प्रेषित किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार दिये गये दिशा निर्देशानुसार पीएमएफएमई योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार ऋण स्वीकृत करना सुनिश्चित करें।

20. <u>ऋण अवमुक्त करने के सम्बन्ध में</u>

- पीएमएफएमई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऋण आवेदन पत्र एवं डीपीआर की प्रति निकालकर सीए के माध्यम से उसका ड्यू डेंलीजेन्स, प्रोजेक्ट वायवेल रिपोर्ट आदि प्राप्त किया जायेगा तथा स्वीकृत किये जाने वाले ऋणों को पहले पीएमएफएमई पोर्टल पर तत्पश्चात् सीबीएस में ऋण स्वीकृत किया जायेगा।
- जिस दिन ऋणी के खाते में ऋण का डिस्बर्सल किया जायेगा उसी दिन पीएमएफएमई पोर्टल पर भी ऋण का डिस्बर्समेण्ट अंकित किया जायेगा।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेण्डम सं0–एफएम–11/64/2021–एफएमई–पार्ट(2), दिनांक–18.05.2022 में उल्लिखित है कि कतिपय योजनाएं पीएमएफएमई में अनुमन्य नहीं है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

  i. Trading and selling of unprocessed Millets/Cereals/Spices etc.
  ii. Unprocessed or loose Milk (Selling of Milk/Curd)
  iii. Trading and selling of fruits and vegetables.
  iv. Trading and selling of unprocessed Minor /forest Product
  v. Bee Keeping/Loose selling of Honey
  vi. Loose selling, trading and repacking of oil
  vii. Trading and selling of groundnut, Arecanut (Exception: Any proposal for export variety would be reviewed on case to case basis. State Government to take prior approval from MoFPI for such cases.)
  viii. Poultry, Piggery, Goatry or any other rearing activity of animals
  ix. Trading and sellig of fresh Fish/Meat/chicken etc.
  x. Repacking of manufactures products
  xi. Canteen, grocery, hotel, tiffin services, restaurants or any other food services enterprises

- उक्त के साथ पीएमएफएमई दिशा निर्देश भी इस आशय से संलग्न किये जा रहे हैं ताकि उनका भली–भांति अध्ययन कर ऋण वितरण नियमानुसार करें।

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> :–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
3. श्री राहुल श्रीवास्तव, प्रबन्धक (आई0टी0) को इस निर्देश के साथ कि वे बैंक की वेबसाईट पर पीएमएफएमई परिपत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त महाप्रबन्धक/विभाग प्रभारी, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर–अध्यक्ष प्रकोष्ठ को अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 के अवलोकनार्थ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
8. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक

List-1

<u>Checklist for submitting Credit Proposals</u>
(New Enterprises- Individual/Firms)

1	PAN Card of concern/all promoters
2	Aadhaar Copy & Photo of all promoters/guarantors
3	Address Proof: I. Utility bill, which is not more than two months old of any service provider, (Electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill) or II. Property or Municipal tax paid receipt or III. Ration Card (Individual)
4	Photocopy of Bank Statement/Bank Passbook for the last 6 months
5	Photocopy of highest academic qualification of promoter/s
6	Sanction letter of active loans,
7	Loan statement of active loans
8	Any other Document

List-2

Checklist for submitting Credit Proposals

(Existing Enterprises- Individual/Firms with more than 1 Cr Turn over)

1	Pan Card of concern/group concern/all promoters/guarantors
2	Aadhaar Copy & Photo of all promoters/guarantors
3	Address Proof: I. Utility bill, which is not more than two months old of any service provider, (Electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill) or II. property or Municipal tax paid receipt
4	Udhayam Registration Certificate/s IE code- wherever applicable/Licences (Trade LIcense/Shop & Establishment Registration/Panchayat License/Corporation License/Municipality License)
5	Business Partnership Agreement (if Individual/Proprietor-not applicable)
6	Photocopy of Bank Statement/Bank Passbook for the last 6 months of the firm
7	Audited balance sheet with annexures of max 3 years with ITR
8	Copy of License as per industry (Eg. FSSAI, Pollution Clearance, ESI etc)
9	GSTIN Registration Certificate
10	GST returns of last financial years
11	List of existing machinery and equipment
12	Photo of the Existing unit
13	Loan statement of active loans
14	Sanction letter of active loans
15	Insurance Policy copy of the existing unit & Stock
16	Audited balance sheet of Group/Sister concern with annexures of last 3 years with ITR
17	Latest Stock Statement
18	Quaterly sales-purchase of previous year and current year
19	Photocopy of highest academic qualification of promoter/s
20	Any other document

List-3

<u>Checklist for submitting Credit Proposals</u>

(Existing Enterprises- Individual/Firms with less than 1 Cr Turn over)

1	PAN Card of concern/all promoters
2	Aadhaar Copy & Photo of all promoters/guarantors
3	Address Proof: I. Utility bill, which is not more than two months old of any service provider, (Electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill) or II. Property or Municipal tax paid receipt or III. Ration Card (Individual)
4	Udhayam Registration Certificate/s IE code- wherever applicable/Licences (Trade LIcense/Shop & Establishment Registration/Panchayat License/Corporation License/Municipality License)
5	Business Partnership Agreement (if Individual/Proprietor-not applicable)
6	Photocopy of Bank Statement/Bank Passbook for the last 6 months of the firm
7	Audited/Self-affixed balance sheet with annexures of max. 3 years with ITR
8	Copy of License as per industry (Eg. FSSAI, Pollution Clearance, ESI etc)
9	GSTIN Registration Certificate if applicable
10	GST returns of last 1 years if applicable
11	Loan statement of active loans
12	Sanction letter of active loans
13	Insurance Policy copy of the existing unit & Stock
14	Latest Stock Statement
15	Quaterly sales-purchase of previous year and current year
16	Any other document
17	Photocopy of highest academic qualification of promoter/s

List-4

Checklist for submitting Credit Proposals

(Farmers Producer Companies-Existing Enterprises)

1	PAN Card of company/Chairman/Chief Executive
2	Aadhaar Copy & Photo of Chairman/Chief Executive
3	Address Proof: I. Utility bill, which is not more than two months old of any service provider, (Electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill) or II. Property or Municipal tax paid receipt
4	Udhayam Registration Certificate/s IE code- wherever applicable/Licences (Trade LIcense/Shop & Establishment Registration/Panchayat License/Corporation License/Municipality License)
5	Certificate of registration
6	Memorandum and Articles of Association
7	List of Directors and brief bio-data attested by authorised signatory
8	Details of share holding pattern attested by authorised signatory
9	Board resolution for availing loan/borrowing power/borrowing authority
10	Photocopy of Bank Statement/Bank Passbook for the last 6 months of the company
11	Audited balance sheet with annexures of max 3 years with ITR
12	Copy of License as per industry (Eg. FSSAI, Pollution Clearance, ESI etc)
13	GSTIN Registration Certificate
14	GST returns of last 3 years (for existing unit)
15	List of existing machinery and equipment
16	Photo of the Existing unit
17	DPR
18	Loan statement of active loans
19	Sanction letter of active loans
20	Insurance Policy copy of the existing unit & Stock
21	Latest Stock Statement/register
22	Quaterly-wise sales-purchase of previous year and current year
23	Copies of Minutes of last AGM and Board meeting
24	Copies of recent grants
25	Annual Report for the last year
26	Agreement made with Buyers
27	Any other Documents

List-5

Checklist for submitting Credit Proposals
(Co-operative Society-Existing Enterprises)

1	PAN Card of company/Chairman/President/Chief Executive
2	Aadhaar Copy & Photo of Chairman/Chief Executive
3	Address Proof: I. Utility bill, which is not more than two months old of any service provider, (Electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill) or II. Property or Municipal tax paid receipt
4	Udhayam Registration Certificate/s IE code- wherever applicable/Licences (Trade LIcense/Shop & Establishment Registration/Panchayat License/Corporation License/Municipality License)
5	Certificate of Co-operative Society registration
6	Copy of Society Bye laws with its amendments if any
7	List of Board Executive Members and brief bio-data attested by authorised signatory
8	Details of share holding pattern attested by authorised signatory
9	Board resolution for availing loan/borrowing power/borrowing authority
10	Photocopy of Bank Statement/Bank Passbook for the last 6 months of the company
11	Estimates and Quotation of all capital machineries and equipment
12	Audited balance sheet with annexures of max 3 years with ITR (for existing unit)
13	Copy of License as per industry (Eg. FSSAI, Pollution Clearance, ESI etc)
14	GSTIN Registration Certificate
15	GST returns of last one year
16	List of existing machinery and equipment
17	Photo of the Existing unit
18	DPR
19	Loan statement of active loans
20	Sanction letter of active loans
21	Insurance Policy copy of the existing unit & Stock
22	Latest Stock Statement/register
23	Quaterly-wise sales-purchase of previous year and current year
24	Copies of Minutes of last AGM and Board meeting
25	Copies of recent grants
26	Annual Report of the Society for the last year
27	Agreement made with Buyers
28	Any other Documents

List-6

Checklist for submitting Credit Proposals
(Self Help Groups)

1	Aadhaar Copy of all the Members of the group
2	List of all the members of the group with photo, contact no. & address of individual members
3	Address Proof: I. Utility bill, which is not more than two months old of any service provider, (Electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill) or II. Property or Municipal tax paid receipt
4	Resolution copy signed by all the members of SHG to avail loans.
5	Estimates and Quotation of all capital machineries and equipment
6	Details of Group Savings, loans details etc.
7	DPR
8	Loan statement of active loans
9	Sanction letter of active loans
10	Copies of Minutes of last meeting of SHG members
11	Agreements made with Buyers, if any.
12	Copies of any other Government grants received, if any.
13	Photocopy of Bank Statement/Bank Passbook for the last 6 months of the company
14	Any other documents